सं. डीपीई-02/0001/2023–एएमआरसीडी/एफटीएस-13578

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक न. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 17 दिसंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परस्पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठन(नों) के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटारा - सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 05/0003/2019-एफटीएस-10937 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3.3 में एएमआरसीडी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता विनिर्दिष्ट की गई है और स्पष्ट किया गया है कि *परस्पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/पतन न्यासों के बीच तथा सीपीएसई और सरकारी विभाग(गों)/संगठन(नों) (रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक करार(रों) के उपबंधों की व्याख्या और प्रयोज्यता से संबंधित कोई भी विवाद अथवा मतभेद को किसी भी पक्ष द्वारा समाधान के लिए केवल एएमआरसीडी के माध्यम से उठाया जाएगा।*

3. एएमआरसीडी तंत्र में निजी संस्थाओं से जुड़े विवाद शामिल नहीं हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें शुरुआत में मामला दो (या अधिक) सीपीएसई के बीच दर्ज हुआ हो, किन्तु बाद में उनमें से एक पक्ष निजी संस्था बन जाता है अथवा किसी कारण से सीपीएसई नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में सचिवों की समिति (सीओएस) के गठन के बाद भी दावेदार सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुरोध पर लोक उद्यम विभाग द्वारा एएमआरसीडी के वेब पोर्टल से दर्ज मामले को हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

4. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसई/संगठनों के ध्यान में लाएं ताकि इसका सख्ती से अनुपालन किया जा सके।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

क्रांती 17.12.24

(क्रांती ई. खोब्रागडे)
उप-सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: kranti.khobragade@gov.in

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।